न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम

सह विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), किशनगंज।

उपस्थितः— सुरेश कुमार सिंह — II

निर्णय की तिथिः— 24.04.2026

विशेष वाद (एस.सी./एस.टी.) संख्या— 48/2025

C.I.S No.- 48/2025

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या— 11/2025 थाना— एस.सी./एस.टी. थाना, जिला— किशनगंज।

सूचक — दिलीप उरॉव, पिता— रामलाल उरॉव, साकिन— आदिवासी टोला, पवना, थाना— पौआखाली , जिला— किशनगंज। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति— श्री आदु लाल हरिजन (विद्वान विशेष लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः—	1. मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम एवं 2. मो0 इजहार आलम।
द्वारा प्रस्तुति—	विद्वान अधिवक्ताः— श्री ओम कुमार। श्री मो0 सैयाज ।

अपराध की तारीखः—	17.03.2025
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः—	24.03.2025
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः—	20.05.2025
आरोप गठन की तिथिः—	11.08.2025
धारा—313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः—	18.04.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः—	18.04.2026
निर्णय की तिथिः—	24.04.2026
दण्डादेश की तिथिः—	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः—	1. मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम, पिता— जसीर आलम, साकिन— आदिवासी टोला, पवना, थाना— पौआखाली, जिला— किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः—	07.07.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः—	07.07.2025
चार्जः—	U/S- 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः—	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः—	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C	

विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-2
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	2. मो0 इजहार आलम, पिता– जसीर आलम, साकिन– आदिवासी टोला, पवना, थाना– पौआखाली, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	07.07.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	07.07.2025
चार्जः–	U/S- 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	दिलीप उरॉव	सूचक साक्षी
P.W- 2	अनिल उरॉव	अन्य साक्षी
P.W- 3	राज कुमार उरॉव	अन्य साक्षी।

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**

N.A	N.A	N.A

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
01	प्रदर्श– P-1/PW-1	आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम एवं मो0 इजहार आलम के विरूद्ध धारा– 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. सूचक द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक 17.03.2025 को इनके पड़ोसी इजहार आलम एवं मो0 इजाद आलम दोनो इनके घर के सामने सरकारी जमीन जो रास्ता के लिए था वह रोकने के लिए उस जमीन पर इनके घर से सटा कर घर बना लिये। जब सूचक ने इसका विरोध किया तब उक्त अभियुक्तगण मिलकर जाति सूचक शब्द साले संथाल कहा तथा बोला कि ज्यादा बोलेगा जो यही जमीन मे गाड़ देंगे। उसके बाद उपरोक्त अभियुक्तगण सूचक के घर मे घुसकर जमीन पर पटक कर लाठी डंडा से मारने लगा। उसके बाद इनकी पत्नी दिपाली उरॉव बचाने आई तो उसी भी अभियुक्तगण लाठी से मारने लगा तथा कपडा फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिया और गुप्तांग मे हाथ डालकर कहने लगे साली आज तुमको जान से मार देंगे। उसके पश्चात् सूचक द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर एस.सी./एस. टी. थाना कांड संख्या – 11/2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. में दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 20/2025 दिनांक 25.05.2025 को विद्वान विशेष न्यायालय, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 11.08.2025 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम एवं मो0 इजहार आलम के विरूद्ध धारा– 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 03 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 दिलीप उरॉव, अभियोजन साक्षी संख्या 02 अनिल उरॉव एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03 राज कुमार उरॉव हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-1 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 03 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले के सूचक के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 दिलीप उरॉव (सूचक) हैं इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्होंने यह केस इजहार आलम एवं मो0 इजाज आलम के विरूद्ध किया है। घटना आज से 6–7 महीना पहले की है। सरकारी रास्ता को लेकर बाताबाती हुआ था। बाताबाती के बाद इन्होने केस कर दिया। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि इनका घर एवं अभियुक्तों का घर आसपास है। वर्षो से ये लोग साथ ही रहते है। दोनो पक्षों का घर बनने के बाद रास्ता छोटा हो गया था उसी गलतफहमी मे कहा सुनी हो गया था। आवेदन मे पुलिस ने क्या लिखवाया इनको मालूम नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य के काफी विरोघाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 अनिल उरॉव है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह केस दिलीप ने किया है नाम याद नहीं है। घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी के साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03 राज कुमार उरॉव है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में दोनो पक्षो के बीच आपसी से समझौता हो गया है तथा इस मामले मे जितने भी साक्षियों की गवाही अभियोजन ने कराया है किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

14. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 02 अनिल उरॉव एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03 राज कुमार उरॉव है इन दोनो साक्षियों ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अभियोजन द्वारा दोनो साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 दिलीप उरॉव है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि सरकारी रास्ता को लेकर दोनो पक्षों के बीच बाताबाती हुआ था। आवेदन मे पुलिस ने क्या लिखवाया था इन्हें मालुम नहीं है। जिस मामले मे सूचक ही अपने बयान से मुकर जाती है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम एवं मो0 इजहार आलम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण मो0 एजाज आलम उर्फ मो0 इजाद आलम एवं मो0 इजहार आलम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 126(2), 3(5), 115(2), 3(5), 329(2), 3(5), 74, 3(5), 351(2), 3(5), 352, 3(5) of BNS & 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w(i)) of SC/ST Act. से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभूओं को उनके बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 24.04.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 24.04.2026

Date of Judgment/Order	24-04-2026
Date of reserving judgment/order	24-04-2026
Uploading Date	25-04-2026
Uploaded by	Deposition Writer